

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प.2(4)न्याय/2015


जयपुर, दिनांक 25.07.2016

:: अधिसूचना ::

इस कार्यालय की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 13.06.2016 में संशोधन/पुनर्स्थापित करते हुए पारिवारिक न्यायालय अधिनियम, 1984 (1984 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या-66) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श के पश्चात, राज्य सरकार, उक्त अधिनियम द्वारा पारिवारिक न्यायालय को प्रदत्त शक्तियों व क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने हेतु, एतद्वारा, निम्नलिखित स्थानों पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश स्तर के पारिवारिक न्यायालयों का सृजन एवं स्थापन करती है, जिनका स्थानीय क्षेत्राधिकार कॉलम संख्या 4 में अंकित अनुसार विनिर्दिष्ट किया जाता है:-


क्र. सं.	न्यायालय का नाम	बैठक का स्थान	स्थानीय क्षेत्राधिकार
1	पारिवारिक न्यायालय, संख्या-2, बीकानेर	बीकानेर	राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर अन्तरित प्रकरणों की सुनवाई की जायेगी।
2	पारिवारिक न्यायालय, संख्या-3, जयपुर	जयपुर	राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर अन्तरित प्रकरणों की सुनवाई की जायेगी।
3	पारिवारिक न्यायालय, संख्या-2, कोटा	कोटा	राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर अन्तरित प्रकरणों की सुनवाई की जायेगी।
4	पारिवारिक न्यायालय, संख्या-3, कोटा	कोटा	राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर अन्तरित प्रकरणों की सुनवाई की जायेगी।

नोट: वर्तमान में कार्यरत पारिवारिक न्यायालय, बीकानेर एवं पारिवारिक न्यायालय, कोटा का नाम परिवर्तित कर पारिवारिक न्यायालय, संख्या-1, बीकानेर एवं पारिवारिक न्यायालय, संख्या-1, कोटा किया जाता है।

राज्यपाल के आदेश से

(मनोज कुमार व्यास)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल, राजस्थान सरकार।
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री, राजस्थान सरकार।
4. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
6. रजिस्ट्रार (प्रशासन), राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बेंच, जयपुर।
7. जिला कलेक्टर/जिला एवं सेशन न्यायाधीश/पुलिस कमीशनर/पुलिस अधीक्षक, बीकानेर/जयपुर महानगर/जयपुर जिला/कोटा।
8. शासन सचिव, विधि (राजकीय वादकरण), शासन सचिवालय, जयपुर।
9. महानिदेशक आरक्षी/जेल, राजस्थान सरकार, जयपुर।
10. निदेशक, अभियोजन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
11. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
12. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर को राजपत्र के विशेषांक में प्रकाशनार्थ (सी.डी. सहित)।
13. प्रोग्रामर, विधि विभाग।
14. रक्षित पत्रावली।


(डॉ० कैलाश चन्द्र अटवासिया)
संयुक्त शासन सचिव